

जनपद बिजनौर प्रेस नोट-- थाना अफजलगढ

दिनांक 04.10.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध 20 ली0 कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद मे अवैध शराब के बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण आदि मे संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त परमजीत उर्फ पम्मा पुत्र भगवान सिंह नि0 ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जिला बिजनौर को एक प्लास्टिक की जैरीकैन मे 20 लीटर कच्ची शराब खाम सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 301/2025 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त परमजीत उर्फ पम्मा पुत्र भगवान सिंह नि0 ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जिला बिजनौर बरामदगी का विवरण

20 ली0 अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---

- 1. थानाध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2. का० २१५९ आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 3. का० ९८६ कृष्ण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



दिनांक - 04.10.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.10.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता	
सं0			
1.	नगीना	नईम पुत्र शब्बीर निवासी मौ0 पंजाबियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।	
2.	चांदपुर	गजेन्द्र पुत्र नेतराम निवासी ग्राम जोत हिम्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।	
3.	बढापुर	हरविन्दर सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम वीरभानवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।	









प्रेस नोट- थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 04.10.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 107/25 धारा 123/70(1)/351(3) बीएनएस व धारा 67 आई0टी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त को एक मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.09.2025 को वादिया ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण नौशाद व हासिम निवासीगण ग्राम खिरनी गोपालपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया तथा अभियुक्त नौशाद द्वारा वीडियो बना ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 123/70(1)/351(3) बीएनएस व धारा 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 04.10.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित नौशाद पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम सांजक थाना शाहपुर जनपद मुज्जफरनगर को एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नौशाद पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम सांजक थाना शाहपुर जनपद मुज्जफरनगर

बरामदगी विवरण

एक वीवो कम्पनी को मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर प्रेस नोट– थाना स्योहारा

दिनॉक 04.10.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ०सं० 278/25 धारा 61(2)/109(1)/115(2) बीएनएस में वांछित बालअपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2025 को वादी श्री फैसल पुत्र अकरम निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.बालअपचारी 2.अनस पुत्र छोटे 3.रोशनी पुत्री छोटे 4.विलकिश पत्नी छोटे 5.असलम पुत्र नन्हे निवासीगण ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6.अकबर द्वारा वादी व वादी की माता पर जान से मारने की नियत से फावडे व डण्डो से वार किया तथा अभियुक्त असलम व अकबर द्वारा पूरे प्रकरण की साजिश की गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योग्हारा पर मु0अ0सं0 278/25 धारा 61(2)/109(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट— दिनांक 27-07-2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अनस पुत्र छोटे निवासी मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.10.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बालअपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता-

बालअपचारी

पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 काजल तेवितया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2-हे0का0 162 मैनपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



प्रेस नोट - थाना शिवाला कलां

दिनांक 04.10.2025

थाना शिवाला कलां पुलिस ने मु0अ0सं0 150/25 धारा 333/74/79 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2025 को वादी द्वारा थाना शिवाला कलां पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त बिरजी उर्फ बृजपाल पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर द्वारा उसकी पुत्री के साथ के छेडछाड की गयी।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 333/74/79 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.10.2025 को थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त बिरजी उर्फ बृजपाल पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त का विवरण –

बिरजी उर्फ बृजपाल पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री तनवीर अहमद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
- 2.का० 1535 अमित सहगल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
- 3.का0 272 हरित चौधरी थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट - थाना शिवाला कलां

दिनांक 04.10.2025

थाना शिवाला कलां पुलिस ने मु0अ0सं0 150/25 धारा 333/74 बीएनएस व धारा 9(m)/10 पॉक्सो संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2025 को वादिनी द्वारा थाना शिवाला कलां पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त महमूद पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0ग्राम हिसामपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा उसकी पुत्री के साथ के छेडछाड की गयी।

इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 151/25 धारा 333/74 बीएनएस व धारा 9(m)/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.10.2025 को थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त महमूद पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0ग्राम हिसामपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त का विवरण –

महमूद पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0ग्राम हिसामपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर पृिलस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री तनवीर अहमद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
- 2.का० 1535 अमित सहगल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
- 3.का0 २७७ हरित चौधरी थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 04.10.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 845/2025 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्तगण को 05 बोरे में 10 लोहे की प्लेट (पुल निर्माण सामाग्री) व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2025 को वादी अनुज कुमार पुत्र कल्याण सिंह नि0 कमाख्या कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि पेदा चौकी से नयागाव को जाने वाले रास्ते पर चल रहे निर्माण कार्य की साइट से अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा हाईवे कन्सट्रेक्शन में प्रयोग होने वाली लोहे की प्लेट चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 845/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुये 05 अभियुक्तगण 1.जुल्फिकार पुत्र अब्दुल वासे निवासी ग्राम जन्दरपुर गजरौला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, 2.नौशाद पुत्र आजाद अली, 3.नसीम पुत्र अब्दुल नियाज, 4.रईस पुत्र





अब्दुल रहीम निवासीगण पुन्डरीकला थाना नांगल सोती बिजनौर, 5.छबरे पुत्र तुलसी निवासी ग्राम किशोर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की गई 10 लोहे की प्लेट (पुल निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली) व घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक (छोटा हाथी) नं0 UP15ET-8993 सिहत गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि बरामद लोहे की प्लेटें उन्होंने दिनांक 01.10.2025 की रात्रि में ग्राम पेंदा व ग्राम नयागांव के बीच निर्माणाधीन पुल की साइट से चोरी की थीं। जांच में पाया गया कि उक्त स्थल पर तैनात चौकीदार छबरे भी चोरी में शामिल था, जिसने स्वयं को बंधक बनाकर झूठी सूचना दी थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई है। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि शेष चोरी की गई प्लेटें उनके साथी भूरा पुत्र अय्यूब, हनीफ उर्फ मस्तुल्ला पुत्र इद्दु व फुरकान पुत्र हमीद, निवासीगण ग्राम पुंडरीकला थाना नांगल जनपद बिजनौर के पास हैं। उन्होंने बताया कि चोरी की प्लेटें छोटा हाथी वाहन संख्या UP 15 ET 8993 से ले जाई जा रही थीं, जिसका चालक अरशद पुत्र ताहिर निवासी जाब्तागंज फाटक नं. 3 थाना नजीबाबाद मौके से फरार हो गया।

उपरोक्त चोरी की घटना में वांछित शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रायस किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.जुल्फिकार पुत्र अब्दुल वासे नि 0ग्राम जन्दरपुर गजरौला थाना को0शहर बिजनौर।
- 2.नौशाद पुत्र आजाद अली नि 0ग्राम पुंडरीकला थाना नांगल सोती बिजनौर।
- 3.नसीम पुत्र अब्दुल नियाज नि 0पुन्डरीकला थाना नांगल सोती बिजनौर।
- 4.रईस पुत्र अब्दुल रहीम नि 0पुन्डरीकला थाना नांगल सोती बिजनौर।
- 5. छबरे पुत्र तुलसी नि 0ग्राम किशोर थाना किरतपुर बिजनौर।

बरामदगी विवरण

- 1.चोरी की गई 10 लोहे की प्लेट (पुल निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली)
- 2.घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक (छोटा हाथी) नं0 UP15ET-8993

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1. भूरा पुत्र अय्यूब नि 0ग्राम पुंडरीकलां थाना नांगल सोती बिजनौर
- 2. हनीफ उर्फ मस्तुल्ला पुत्र इद्घु नि 0ग्राम पुंडरीकला थाना नांगल बिजनौर
- 3. फुरकान पुत्र हमीद नि 0पुन्डरी कला थाना नांगल बिजनौर
- 4. अरशद पुत्र ताहिर नि 0जाब्तागंज फाटक नं 3 0थाना नजीबाबाद बिजनौर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्तगण जुल्फिकार, नौशाद, छबरे व नसीम उपरोक्त

- 1.मु0अ0स0 845/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर <u>अभियुक्त रईस उपरोक्त</u>
- 1.मु0अ0स0 845/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0स0 34/2021 धारा 147/148/149/307/427/452 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0स0 173/2024 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1. प्रभारी निरी0 धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2. व0उ0नि0 सतेन्द्र मलिक थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
- 3. उ0नि0 मोहित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
- 4. उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
- 5. आरक्षी मोहित थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
- 6. आरक्षी अर्पित थाना को0शहर जनपद बिजनौर।